कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 335 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 17 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–नैनीताल में हल्द्वानी के ग्राम लक्ष्मपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 7 मीटर स्पान गर्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.08 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/20084/2016)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/218/2016/एफ0सी0/946 दिनांकः–07.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक–2286/12–1 दिनांक 23–06–2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल का पत्र दिनांक 08.08.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.16 है0 ग्राम–जुवा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.16 है0 ग्राम–जुवा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 5,47,197.00 (रूपये पाँच लाख, सैंतालीस हजार, एक सौ सत्तानब्बे मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1) तथा उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है। अमलदरामद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0– 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रकरण में वांछित एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 6,76,080.00 (रूपये छः लाख छियत्तर हजार, अस्सी मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है। तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढी हुयी दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा। (संलग्नक–3)

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं०–5–3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण कैम्पा के तदर्थ निकास खाते में आनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है। उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में देय एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल धनराशि रू0 12,23,277.00 (रूपये बारह लाख तेईस हजार, दो सौ सतहत्तर मात्र) चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strp Plantation की जायेगी इस आशय की बचत कर ली जायगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation किये जाने सम्बन्धी वचनवद्धता संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–4)
6	State Govt. will review and correct the details of employment likely to be generated given at para E of online part-I and district profile data at para 14 part-II online after reconciliation of data given about CA stipulated in the Hard copy and online part-II.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण से 200 व्यक्तियों को स्थायी रूप से तथा 50 व्यक्तियों को अस्थायी रूप से रोजगार मिलेगा। इस प्रकार कुल 70 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। डिस्ट्रिक प्रोफाइल का डाटा पैरा 14 के पार्ट–II के अनुसार संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न–5) तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (संलग्न–6)

अतः अनुरोध है कि वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही/स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक :–

1. कैम्पा कोष में जमा धनराशि की सूचना। **(संलग्नक–1)**
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के
   वन विभाग के नाम अमल दरामद की प्रति। **(संलग्नक–2)**
3. एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र। **(संलग्नक–3)**
4. Strip plantation किये जाने की वचनबद्धता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र। **(संलग्नक–4)**
5. डिस्ट्रिक्ट प्रोफाईल। **(संलग्नक–5)**
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना। **(संलग्नक–6)**

भवदीय,
12/8/23
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 335 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।